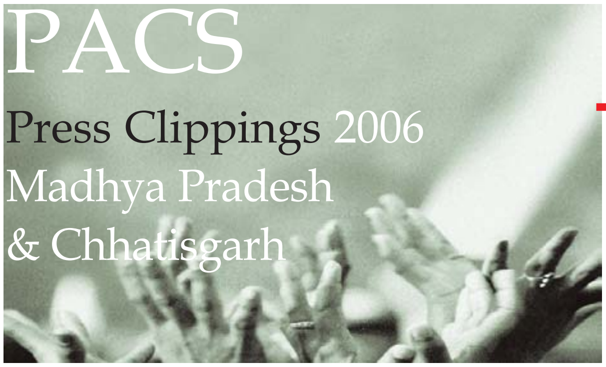

8 जबलपुर, गुरुवार, 29 जून 2006

आदिवासी क्षेत्र की पंचायतों में अनियमितता

घंसौर (निप्र)। प्रदेश व केन्द्र शासन द्वारा पंचायतों में प्रति वर्ष विभिन्न योजनाओं में लाखों रूपये निर्माण कार्य हेतु प्रदान किये जा रहे हैं लेकिन देखा जा रहा है कि निर्माण कार्य में जहां सरपंच-सचिव खुलकर मनमानी कर रहे हैं शासकीय योजना का लाभ ग्रामीणों को न देकर स्वयं के परिवार वालों व चहेतों को दे रहे हैं, जिसकी शिकायत होने पर जांच में पहुंचे अधिकारी भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं किसी अधिकारी ने अगर सही जांच भी कर ली तो ऊपर बैठे अधिकारी अपनी [illegible] कर मामले को दबा कर रख देते हैं, आदिवासी बाहुल्य घंसौर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की अगर ईमानदारी से जांच कर तत्काल कार्यवाही की जाये तो अनेक सरपंच पद से पृथक हो सकते हैं और सचिवों को भी सेवा मुक्ति का आदेश मिल सकता है लेकिन कहते हैं कि ना बाप ना भैया सबसे बड़ा रूपैया वाली कहावत यहां की पंचायतों में पूरी तरह सटीक बैठ रही है, अगर सरपंच-सचिव के पास पैसा है तो वह कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर ले उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. ऐसे ही ग्राम पंचायतों में धूमा माल, बरेला,कटोरी, दरोट आदि शामिल हैं. उक्त ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने सरपंच व सचिव की मनमानी की शिकायत की और नायब तहसीलदार व पंचायत निरीक्षक ने जांच भी कि जिसमें सरपंच व सचिव को निर्माण कार्यों में की गई धांधली और भाईभतीजा वाद का दोषी भी पाया गया और जांच प्रतिवेदन बनाकर धारा-46 के तहत सरपंच व धारा-70 के तहत सचिव को पद से पृथक करने की अनुशंसा कर जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सौंपा गया लेकिन उसके बाद भी आज तक उक्त सरपंच व सचिवों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई परिणाम स्वरूप क्षेत्र के अन्य सरपंच व सचिव पंचायत कार्यों में मनमानी करने से नहीं चूक रहे हैं, जिससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है।

DAINIK BHASKAR